

गैर प्रथम इतिला रिपोर्ट मामलों के लिये अभियोजन प्रतिवेदन  
इस पुस्तिका में द्विक प्रतियों में 50 प्रपत्र है।

गैर प्रथम इतिला रिपोर्ट मामलों के लिये अभियोजन प्रतिवेदन का प्रपत्र  
(परिशिष्ट 102)

थाना.....रिपोर्ट की क्रम संख्या.....तिथि.....धारा.....

सेवा में,  
मुख्य/अनुमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट,.....

(1) परिवादी का नाम.....

(2) अभियुक्तों के नाम, पिता का नाम और निवास-स्थान.....

(3) घटना की तिथि, स्थल और समय.....

(4) हर गवाह का नाम, पिता का नाम और निवास स्थान.....

(5) सूचना पाने की तिथि और समय.....

(6) घटना स्थल पर पुलिस के पहुंचने की तिथि और समय.....

(7) घटना की बाते संक्षेप में-

(थाना दैनिकी, निजी दैनिकी या मूल रिपोर्ट की प्रतियां साथ लगा दें)।

(पीठ पर)

(8) प्रदर्शी की सूची, यदि कोई हो.....

(9) प्रभाग निरीक्षक और/या अनुमंडल आरक्षी अधिकारी की अनुशंसा.....

रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का  
हस्ताक्षार और पदनाम

(10) विचारण न्यायालय का आदेश.....